



2026:AHC:180855

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30241 / 2026

रामानंद यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कुबेर सिंह यादव, सत्य धीर सिंह जादौन

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : योगेंद्र कुमार यादव, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र कुमार यादव ने आज न्यायालय में सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कुबेर सिंह यादव के पत्रावली के साथ उपस्थित श्री जनार्दन यादव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र कुमार यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 89/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 3(5), 61(2)(क) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - हलधरपुर, जिला - मऊ में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं था, किन्तु विवेचना के दौरान जब सूचनादाता का बयान दर्ज किया गया तो उसने आवेदक का

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नाम बताया और यह तथ्य दर्शाता है कि आवेदक निर्दोष है और विवेचना के दौरान उसे इस मामले में झूठा अभियुक्त बनाया गया है।

5. हालांकि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले की सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, किन्तु विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने रीना यादव का बयान दर्ज किया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि आवेदक ने कई अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक की पिटाई की थी, किन्तु उनका बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को पांच चोटें आई थीं, किन्तु सिर पर लगी चोट संख्या 1 को छोड़कर अन्य चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और इससे यह पता चलता है कि मृतक की मृत्यु सिर पर लगी चोट के परिणामस्वरूप कोमा में जाने से हुई थी और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक इस चोट का कारण है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने के बावजूद, वर्तमान मामला धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं जाता है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 29.04.2026 से जेल/कारागार में है।

9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि मामले की एकमात्र चश्मदीद साक्षी रीना यादव है और उन्होंने आवेदक का नाम बताया है, किन्तु वे इस तथ्य से अस्वीकार नहीं कर सकते कि उनके बयान से पूर्व, जब सूचनादाता का बयान दर्ज किया गया था, तब भी उन्होंने आवेदक का नाम बताया था, हालांकि, पहले एफआईआर में उन्होंने आवेदक का नाम नहीं बताया था।

10. वे इस तथ्य को भी नकार नहीं सके कि पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोट के कारण कोमा में जाने से हुई थी और उसे सिर में मात्र एक ही चोट लगी थी तथा सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है। वे इस तथ्य को भी नकार नहीं सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 29.04.2026 से जेल/कारागार में है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
12. एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है। हालांकि, इससे यह भी पता चलता है कि सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, किन्तु इसके बावजूद विवेचना के दौरान जब उनका बयान दर्ज किया गया तो उन्होंने अन्य लोगों के साथ आवेदक का नाम भी बताया।
13. इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि रीना यादव एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थीं और जब विवेचना अधिकारी ने उनका बयान दर्ज किया, तो उन्होंने आवेदक और अन्य लोगों के नाम तो बताए, किन्तु सभी अभियुक्तों की भूमिका का मात्र सामान्य विवरण दिया। उनके बयान और जिस प्रकार से उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी सुनाई, उसे देखते हुए प्रथम दृष्टया उनका बयान विश्वसनीय नहीं लगता।
14. इसके अतिरिक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को पांच चोटें आई थीं, किन्तु चोट संख्या 1 को छोड़कर बाकी सभी चोटें मामूली थीं और शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं। पोस्टमार्टम सर्जन के अनुसार, मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोट के परिणामस्वरूप कोमा में जाने से हुई थी और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक मृतक को लगी सिर की चोट का कारण था।
15. इसके अतिरिक्त, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी कि वर्तमान मामला प्रथम दृष्टया धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं जाता है, इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
16. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 29.04.2026 से जेल/कारागार में है।
17. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।
18. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **रामानंद यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

20. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 31, 2026

एके पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।